भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: *185
01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान वय वंदना कार्ड योजना

***185. डॉ. आनन्द कुमार गोंडः**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने 70 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य देखभाल संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड योजना के कार्यान्वयन हेतु कोई विशेष उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तिथि तक ऐसे कितने कार्ड जारी किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में उक्त योजना के लाभार्थियों के लिए आयु सीमा को 70 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने का है ताकि उक्त लाभ देश के सभी वरिष्ठ नागरिकों को दिया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

01 अगस्त, 2025 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.185 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जो भारत की आबादी के आर्थिक रूप से कमजोर निचले 40% हिस्से वाले 12 करोड़ परिवारों को माध्यमिक और विशिष्ट परिचर्या के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। दिनांक 29.10.2024 को 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, को वय वंदना कार्ड के माध्यम से शामिल करके इस योजना का और विस्तार किया गया।

सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए कई उपाय किए हैं जैसे:

- लाभार्थियों की पहचान, कार्ड निर्माण और अस्पताल में भर्ती संबंधी प्रोटोकॉल को सुव्यवस्थित करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश जारी करना।
- वय वंदना कार्ड के अंतर्गत लाभों और पात्रता के बारे में वरिष्ठ नागरिकों और उनके देखभालकर्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए एक समर्पित आईईसी अभियान शुरू करना।
- कार्ड जारी करने और अस्पताल में भर्ती होने संबंधी निगरानी के लिए एक वास्तविक समय डैशबोर्ड विकसित करना।
- राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों (एसएचए) के साथ नियमित समीक्षा और बैठकें आयोजित करना।

इसके अलावा, मोबाइल फोन एप्लिकेशन (आयुष्मान ऐप) और वेब पोर्टल (beneficiary.nha.gov.in) के माध्यम से या नज़दीकी पैनलबद्ध अस्पताल में भी नामांकन कराया जा सकता है। एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 14555 भी सहायता करने के लिए है और योजना से संबंधित सभी प्रश्नों का समाधान करता है। अब तक इस योजना के तहत कुल 75.41 लाख आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाए जा चुके हैं।

इसके अलावा, समय-समय पर आवश्यकतानुसार नई प्रक्रियाओं को शामिल करके, नए अस्पतालों को पैनलबद्ध करके, नए लाभार्थियों को शामिल करके और अन्य सुधारों के माध्यम से उपचार का विस्तारण किया जाता है।

******